| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख कार्यवाही जो इस हुक्म की तामील में की गई |
|---|---|---|
| 21/1/20 - | पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत 128 एलआरएक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा अमोलपुरा प० ह० [illegible] की आराजी सं० 848/536 रकबा 0.65 हे० भूमि की पत्थरगढ़ी प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूं को 500/- कमीशन शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर पारित किया गया। आदेश प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जावे। पत्थरगढ़ी की पालना रिपोर्ट पेश होवे। पत्रावली फैसलशुदा की जाकर शामिल रिकॉर्ड हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>सहायक कलेक्टर<br>(उपखण्ड अधिकारी)<br>बेगूं (चित्तौड़गढ़) | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)

( पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :: 110/2019

धन्नानाथ पुत्र नन्दानाथ कालबेलिया नि. भालका तह. बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

1. शम्भूलाल पुत्र देवीलाल नायक नि. हरपुरा तह. बेगूँ
2. तुलसानाथ पुत्र नन्दानाथ कालबेलिया नि. भालका तह. बेगूँ
3. डालूनाथ पुत्र नाथूनाथ कालबेलिया नि. भालका तह. बेगूँ
4. उंकार पुत्र चुन्नीलाल धाकड निवासी हरपुरा तह. बेगूँ

विपक्षीगण

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौड़गढ़

उपस्थित :: श्री एस.के.बिल्लू
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक:: 21.01.2020

**आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट**

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.बिल्लू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम अनोपपुरा प.ह. दौलतपुरा में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

| आराजी नम्बर | रकबा हैक्टर | लगान |
|---|---|---|
| 848/536 | 0.65 | 4.35 |

यह कि प्रार्थी का विपक्षीगण से सीमा विवाद बना रहता है इसलिए प्रार्थी ने विपक्षीगण को तहसील में चलकर सीमा जानकारी करा स्थाई सीमांकन कराने को दिनांक 10.07.2019 को कहा तो उन्होने स्थाई सीमांकन कराने से इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुइ है। कृषि भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार फरमाकर कलम नं. 1 में वर्णित कृषि भूमि का स्थाई सीमांकन (पत्थरगढी) किए जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण प्रकरण में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई जिन्होने प्रार्थना पत्र अनुसारी आराजी की पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा अनोपपुरा प.ह. दौलतपुरा सं. 2071 से 74 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थी धन्नानाथ वर्णित आराजी संख्या 848/536 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि के खातेदार दर्ज है, जिन्हें अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा अनोपपुरा प.ह. दौलतपुरा की आराजी संख्या 848/536 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिती में किए जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को पत्थरगढी की पालना हेतु दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी की पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट पेश करें।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

21.1.2020

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौडगढ़
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक-स्टि/ 12/20 दिनांक 28-1-20

आदेश प्रति तहसीलदार, बेगूँ को पत्थरगढी करा पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौडगढ़
बेगूँ, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner